न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

प्र0सं0

प्रथम पक्ष – रविन्द्र भगत

बनाम

वाद सं0 07/2024 – 25

द्वितीय पक्ष – राजेन्द्र साहु ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 20/2024 दिनांक 04/04/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) रविन्द्र भगत उम्र 45 (2) सुरेन्द्र भगत उम्र 56 वर्ष दोनो पिता अर्जुन ओहदार ग्राम लौवाकेरा थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) राजेन्द्र साहु उम्र 40 वर्ष पिता मंगरू साहु (2) अजित साहु उम्र 42 वर्ष पिता गजाधर साहु (3) राजु साहु उम्र 46 वर्ष पिता दुखन साहु (4) गबरू साहु उम्र 42 वर्ष पिता दुखन साहु (5) पिन्टु साहु उम्र 45 वर्ष पिता लखपति साहु ग्राम खम्भिया कुम्बाटोली थाना घाघरा जिला गुमला के बीच मौजा नाथपुर के खाता सं0 283, 117 प्लॉट सं0 2725, 8573 रकबा 5.12 एकड़ भूमि को लेकर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप उभय पक्षो के द्वारा अशांति फैलाने एवं विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में उनुपस्थित :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (मुहर: कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला)) 3/12/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2025.12.24 13:37:15 +05:30 Location: 192.168.1.37	